

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुसावर (1)

पीठाधीन अधिकारी

जीगेन्द्रासिंह (R.A.S)

प्रकरण संख्या - 100/20

दिनांक 16.12.20

किशोर पुत्र खूबेराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बल्लभगढ़ तहसील
मुसावर जिला भरतपुर

--- वादी शपथ

बनाम

1. अतर सेनी पुत्र रामप्रवेशी
2. रामू सेनी पुत्र हनुमान
3. खुमरुछिंह पुत्र रामरुछिंह
4. दौरेलाल पुत्र रामरुछिंह
5. दीपक सेनी पुत्र रामरुछिंह
6. श्यामवीर पुत्र रामरुछिंह
7. प्रभू पुत्र रामलक्ष्मण सेनी

जाति माली निवासी ग्राम
बल्लभगढ़ तहसील मुसावर

--- वैफल प्रतिवादी जात

8. अतरदेवी पत्नी रामनिवास जाति माली निवासी बल्लभगढ़ तहसील मुसावर
9. उजान्ती पत्नी शंकर
10. केशव पुत्र दौरे लाल
11. धनश्याम पुत्र दौरेलाल
12. देवेन्द्र पुत्र शंकर
13. प्रियंका पुत्री दौरेलाल
15. बनवारी पुत्र दौरेलाल
15. बलराम पुत्र शंकर
16. वाबूलाल पुत्र रामजीलाल
17. भूपेन्द्र पुत्र दौरेलाल
18. मिट्टी लाल पुत्र शंकर
19. रमेश पुत्र खूबीराम
20. राजेन्द्र पुत्र शंकर
21. शंकराणी पुत्री शंकर
21. लज्जादेवी पत्नी दौरेलाल
22. वाकडेव पुत्र शंकर
25. विजय पाक पुत्र शंकर
26. शिवू पुत्र भाशामण
27. सत्यपाल पुत्री दौरेलाल
29. दौरे लाल पुत्र दौरेलाल
30. राजू लाल जाति तहसील मुसावर

जाति मान
ब्राह्मण
निवासी ग्राम
बल्लभगढ़
तहसील मुसावर

--- तरापीवी प्रतिवादी जात

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर)

प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955

अधिकारी - 1 श्री छोटे लाल मीना - प्राचीन
" श्री राजू सेनी - अफावी गण

निर्णय दिनांक 22.3.22

प्राचीन द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कां. ख. न 923 खण्ड 0.0400 हेक्टर वाले ग्राम बल्लभपुर में स्थित है जिले में प्राचीन 1114 हेक्टेर का खोटे लाल काश्तकारी एवं काबिज आराजी है तथा शेष हिस्से पर तरली की परिवारी गण संख्या 8 अज्ञात 29 जमाबन्दी में 301 हेक्टेर अनुसूचित खोटे लाल काश्तकारी एवं काबिज आराजी है। उक्त आराजी से कलक परिवारी गण सं. 01 अज्ञात 7 का कोर्ब वाला व सरीसाल निजी प्रकार का काज तक नहीं रहा है और न वर्तमान में है।

अतः परिवारी गण अपने लड़के व लकर के बल पर उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर पुरवा निर्माण करना चाहते हैं। मौके पर निर्णय सामग्री डाल डिये हो कर अतः अतः परिवारी गण को ता फैसला मूल वाद जलिये लम्बाई ठीके धारणा से पाबन्द करने बलर विवेकान बिदा गया है प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र को दर्ज रजिस्ट्रार का

अप्राचीन गण को तबकी जरिये रजिस्ट्रार डाक से काराई गण नोटिस की लाइड में अतः अप्राचीन गणकी ओर से वकालत की राजू सेनी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा अज्ञात 7 की ओर से मौका कन्डिशन रिपोर्ट बालक गण प्रस्तुत किया गया जिसे सुन का स्वीकार कर रहसीलदा के वाले मौका कन्डिशन नियुक्त किया गया उन्होंने रिपोर्ट का गड्ड जिस पर आपाते अप्राचीन गण अधिकारी द्वारा की तथा पुनः रहसीलदा द्वारा रिपोर्ट लेने वाला किया गया

उपरोक्त अधिकारी
भुजावर (भरतपुर)

पुनः लक्ष्मीलक्ष्मी मुखार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
 तथा अपराधी गण 1 लगातार 7 की ओर के जवाब
 प्रार्थना - पर प्रस्तुत किया गया तथा मोका पर वह
 की गई किन्तु अपराधी गण अधिकतम द्वारा पुनः
 रिपोर्ट पर ऐत राज किया गया तथा लक्ष्मीलक्ष्मी
 मुखार को पुनः लिखा गया रिपोर्ट पुनः प्राप्त होने
 पर उमम पत्र पर अधिकतम गण को पुनः गण
 गया !

प्रार्थना अधिकतम द्वारा अपनी बहक में प्रा. पत्र में
 अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा मोका रिपोर्ट
 लक्ष्मीलक्ष्मी को सूची होना अवगत कराया गया !
 तथा अपराधी गण अहम अधिकतम द्वारा लक्ष्मीलक्ष्मी
 मोका रिपोर्ट को नकारा गया एवं जवाब प्रा. पत्र
 में अंकित तथ्यों को दोहराया गया

हमने उमम पत्र अधिकतम गण की बहक पर
 मनन किया गया तथा मोका रिपोर्ट लक्ष्मीलक्ष्मी मुखार
 एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का भली भांति अवलोकन
 किया गया जिससे उमम दृष्टि मामला एवं सुविधा का
 समन्वयन वादी जवाब के एक में साबित होना है

अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा रहा है तथा
 इस - प्रा. पत्र अपराधी गण के विकट पूर्व में जारी अपराधी
 निषेध घाटा दिनांक 16.12.20 ता फैसला वाद कर्म की
 जारी है। पत्रावली फैसला सुमा सेवा संलग्न मूल वाद है
 निषेध आज दिनांक 22.3.22 को लिखा जा रहा है पुनः

ल
 जोगेंद्र
 उपखण्ड अ
 मुखार (अ)